मध्यप्रदेश शासन स्कूल, शिक्षा विभाग

क्र. एफ- 0-5/94 सी-3/20 भोपाल, दिनांक 25-02-94

छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल रायपुर द्वारा अनुकूलित

"मान्यता विनियम 1994"

माध्यमिक शिक्षा मण्डल अधिनियम 1965 (1965 का 23) की धारा 28 की उपधारा 4 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश के मान्यता सम्बन्धी विनियम एतद् द्वारा सभी की जानकारी के लिए जारी किए जाते हैं :-

(एक) इसे माध्यमिक शिक्षा मण्डल (मान्यता) विनियम 1994 कहा जा सकेगा।

(दो) जब तक अन्यथा प्रयोजन न हो................

1. अधिनियम से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम 1965।
2. मण्डल से तात्पर्य है माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश जो अधिनियम की धारा 3 के अन्तर्गत स्थापित किया गया है।
3. संभागीय प्रबंध समिति से तात्पर्य है, अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत गठित संभागीय प्रबंध समिति।
4. अध्यक्ष से तात्पर्य है, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल जो धारा 6 के अन्तर्गत नियुक्ति किया गया हो।
5. सचिव से तात्पर्य है सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल।

(तीन) कोई भी शैक्षणिक संस्था जो मण्डल द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है, मण्डल द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थी नहीं भेज पायेगी।

(चार) जो शैक्षणिक संस्था मण्डल द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा के लिए मान्यता पाने की इच्छा रखती है, वह मण्डल की संबंधित परीक्षा जिसमें संस्था अपने छात्र भेजना चाहती है की मान्यता के लिए सचिव अथवा सचिव द्वारा अधिकृत अधिकारी को दो वर्ष पूर्व 15 अप्रैल तक निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित शुल्क के साथ आवेदन पत्र प्रस्तुत करेगी।

परन्तु यह भी कि यदि मण्डल द्वारा किसी संस्था को संस्था इतिहास देखते हुए आवेदन पत्र एवं शुल्क प्राप्त होने पर यह अधिकार होगा कि वह एक साथ 10 वर्षों से अनाधिक अवधि के लिए मान्यता प्रदाय कर सके।

उदाहरण : यदि संस्था मार्च 2009 में आयोजित परीक्षा के लिए छात्र भेजना चाहती है तो आवेदन पत्र 15 अप्रैल 2007 तक भेजना होगा।

मण्डल द्वारा निर्धारित 10 वर्ष की मान्यता शुल्क की राशि एक मुश्त जमा करने पर स्थायी मान्यता निम्नानुसार प्रावधान के अन्तर्गत दी जा सकेगी।

1. लगातार दो वर्ष से मण्डल की मान्यता प्राप्त संस्था ही स्थायी मान्यता के लिये आवेदन कर सकेगी।
2. मान्यता संबंधी अर्हताएँ पूर्ण नहीं करने पर मण्डल को ऐसी संस्थाओं की मान्यता समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा तथा संस्था द्वारा पूर्व में जमा मान्यता शुल्क की राशि जप्त कर ली जावेगी तथा ऐसी संस्थाओं को नवीन मान्यता के लिये पुनः शुल्क जमा करना होगा।

(पाँच) यदि कोई शैक्षणिक संस्था निर्धारित तिथि तक अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं कर सकती तो उसे मान्यता संबंधी निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देते हुए 30 जून तक आवेदन पत्र देने की अनुमति होगी।

(छः) 30 जून के पश्चात् प्राप्त मान्यता आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। परन्तु विशेष परिस्थिति में अध्यक्ष 31 जुलाई तक का समय दे सकेंगे।

(सात) मान्यता सम्बन्धी आवेदन पत्र मण्डल द्वारा निर्धारित प्रारूप में होगा और उसमें निर्धारित प्रपत्र संलग्न करना होगा। विशेष रूप से निम्न बातों के बारे में जानकारी देना होगा-

1. संस्था की सामान्य सभा तथा / अथवा प्रबन्ध मण्डल के गठन की रूप रेखा।
2. प्रबन्धक अथवा सचिव का नाम।
3. शैक्षणिक संस्था के स्टॉफ की योग्यता तथा उनके लिए निर्धारित वेतन तथा वेतनमान।

4. परीक्षा या परीक्षायें जिनके लिए मान्यता चाही गई है।

5. संस्था द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय।

6. माध्यम जिसमें शिक्षा प्रदाय की जायेगी।

7. कक्षाओं के उपलब्ध स्थान।

8. छात्रों के स्वास्थ्य, खेलकूद तथा अनुशासन के बारे में किए गये प्रावधान।

9. छात्रों तथा अध्यापकों के लिए पुस्तकालय हेतु किए गए प्रबंध तथा अन्य उपकरणों की सुविधा।

10. शैक्षणिक संस्था की वित्तीय स्थिति की जानकारी। गत वर्ष की वित्तीय स्थिति बताने वाले प्रमाण आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा।

11. छात्रों से लिया जाने वाला शुल्क तथा अन्य राशियाँ।

12. छात्रों को दी जाने वाली छात्र वृत्ति अथवा अन्य वित्तीय रियायत।

13. प्रत्येक कक्षा अथवा सेक्शन में छात्रों की संख्या।

14. भवन, प्रयोगशाला, फर्नीचर तथा खेलकूद व्यवस्था सम्बन्धी जानकारी।

(आठ) यदि शैक्षणिक संस्था पूर्व में मान्यता प्राप्त है तथा एक या एक से अधिक विषयों में मान्यता चाहती है तो ... प्रारूप में दो आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा तथा निर्धारित शुल्क देना होगा।

(नौ) यदि आवेदन पत्र में पूरी जानकारी नहीं दी गई है अथवा निर्धारित शुल्क/विलम्ब शुल्क जमा नहीं कराया गया है तो आवेदन पत्र बिना कारण बताए अस्वीकार कर दिया जावेगा।

(दस) आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सचिव द्वारा संबंधित जिलाध्यक्ष, संयुक्त संचालक (शिक्षा)/ जिला शिक्षा अधिकारी एवं अन्य स्त्रोतों से जानकारी प्राप्त की जायेगी और उनके आधार पर आवेदन पत्र पर निर्णय लिया जायेगा।

(ग्यारह) मण्डल अपने अधिकारी या अपने द्वारा नामित किसी अधिकारी या व्यक्ति से संस्था का निरीक्षण कराने के लिए स्वतंत्र रहेगा और संस्था का यह दायित्व होगा कि ऐसे अधिकारी अथवा नियुक्त व्यक्ति को पूरा सहयोग प्रदान करें और चाही गई जानकारी उपलब्ध करायें।

(बारह) यदि मण्डल, कोई अन्य जानकारी चाहे तो शैक्षणिक संस्था को इसे उपलब्ध कराना होगा।

(तेरह) मण्डल द्वारा सम्पूर्ण जानकारी पर विचार करने के पश्चात् संस्था का आवेदन पत्र -

1. मान्य किया जा सकेगा।

2. अमान्य किया जा सकेगा।

3. सशर्त मान्य किया जा सकेगा। इन शर्तों को पूरा करने की समय अवधि का बंधान किया जा सकेगा। संस्था के लिए इस अवधि में इन शर्तों को पूरा करना अनिवार्य होगा। अन्यथा मान्यता स्वमेव समाप्त हो जावेगी।

(चौदह) शैक्षणिक संस्था को मान्यता निम्नलिखित शर्तों पर दी जायेगी-

1. मण्डल के किसी अधिकारी अथवा मण्डल द्वारा नियुक्ति किसी भी व्यक्ति द्वारा संस्था का निरीक्षण किया जा सकेगा।

2. यदि किसी माध्यमिक शिक्षा विद्यालय अथवा वरिष्ठ माध्यमिक शिक्षा विद्यालय में प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था है तो वह शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होगी।

3. मण्डल द्वारा चाही गई सभी जानकारी एवं उनके द्वारा निर्धारित सभी प्रपत्र मण्डल को नियत तिथि तक भिजवाना होगा।

4. संस्था किसी अन्य मण्डल, विश्व विद्यालय या परीक्षण संस्था की किसी भी समतुल्य परीक्षा के लिए छात्रों को प्रशिक्षित नहीं करेगी और न ही ऐसे छात्रों को ऐसी परीक्षा में भिजवाने का प्रबंध या प्रयास करेगी।

5. संस्था को छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष में कम से कम एक बार कराना पड़ेगा और उनकी शारीरिक शिक्षा के लिए प्रबंध करना होगा।

6. शैक्षणिक संस्था द्वारा विद्यालय में साफ सफाई रखी जायेगी।

7. संस्था द्वारा किसी भी कक्षा अथवा कक्षा के भाग में 45 से अधिक छात्रों की भर्ती नहीं की जायेगी।

8. संस्था का भवन मण्डल द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए उपलब्ध रहेगा और उसमें इसके लिए स्टॉफ, फर्नीचर तथा उपकरण इत्यादि भी मण्डल को उपलब्ध होंगे। मण्डल इसका उपयोग परीक्षा आयोजित करने या किसी अन्य कार्य के लिए कर सकेगा।

9. शैक्षणिक संस्था का कोई भी अध्यापक किसी राजनैतिक गतिविधि में भाग नहीं लेगा।

10. शैक्षणिक संस्था द्वारा अनिवार्य रूप से धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी।

11. संस्था की प्रबन्ध समिति में अधिक से अधिक 10 सदस्य होंगे जिनमें संस्था का प्राचार्य शामिल होगा और दो सदस्य मण्डल अथवा संयुक्त संचालक (शिक्षा) द्वारा नियुक्त व्यक्ति होंगे। यदि इस प्रकार का प्रावधान संस्था के नियमों में न हो तो उसे अपने नियमों में परिवर्तन करना होगा।

12. शैक्षणिक संस्था के भवन में समुचित स्थान उपलब्ध होगा और पुस्तकालय प्रयोगशाला इत्यादि के लिए सुविधा उपलब्ध होगी।

13. शैक्षणिक संस्था द्वारा कमरे के भीतर अथवा बाहर खेलों के आयोजन के लिए स्थान उपलब्ध कराया जायेगा।

14. शैक्षणिक संस्था द्वारा विभिन्न विषयों को पढ़ाने के लिए उपयुक्त फर्नीचर एवं उपकरण मण्डल के संतोष के लायक उपलब्ध कराना होगा।

15. शैक्षणिक संस्था के बजट में संस्था को पुस्तकालय, प्रयोगशाला इत्यादि के लिए समुचित राशि उपलब्ध कराना होगी।

16. शैक्षणिक संस्था द्वारा शासकीय संस्था के समान योग्यता प्राप्त अध्यापन स्टॉफ तथा अन्य स्टॉफ रखा जायेगा।

17. शैक्षणिक संस्था द्वारा अस्थायी मान्यता चाहने की दशा में 10,000 रुपये तथा स्थायी मान्यता चाहने की दशा में रुपये 25,000 (पच्चीस हजार) की एक अक्षय निधि बनाने का प्रावधान करना होगा। अक्षय निधि संस्था के प्राचार्य तथा संयुक्त संचालक/उप-संचालक, शिक्षण के संयुक्त खाते में जमा रहेगा।

18. संस्था द्वारा विद्यालय में भर्ती प्रत्येक छात्र का मण्डल के साथ नामांकन कराना होगा।

19. संस्था द्वारा 31 जुलाई के पश्चात किसी भी छात्र को मण्डल की पूर्वानुमति के बिना प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। परन्तु जो विद्यालय एक ही संस्था द्वारा विभिन्न नगरों में संचालित होंगे उनमें में किसी एक विद्यालय से अन्य विद्यालय में स्थानान्तर हो सकेगा।

20. संस्था द्वारा किसी भी छात्र को दसवीं अथवा बारहवीं में सीधा प्रवेश नहीं दिया जायेगा। परन्तु यदि कोई स्थान इन कक्षाओं में सत्र के दौरान रिक्त होते हैं तो अप्रैल में मण्डल को इसकी सूचना देना होगी और इस संख्या तक प्रवेश दिया जा सकेगा।

21. माध्यमिक शिक्षा मण्डल में मान्यता प्राप्त करने हेतु छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग की विभागीय अनुमति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(पन्द्रह) मण्डल द्वारा जिन शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान की जाती है, उसकी एक सूची तैयार की जाकर यथासंभव प्रत्येक वर्ष के जुलाई माह में प्रकाशित करना होगी। उसमें उन परीक्षाओं का उल्लेख होगा जिनके लिए मान्यता दी गई है और मान्यता की अवधि के साथ ही मान्यता प्राप्त विषयों का भी उल्लेख किया जायेगा।

(सोलह) प्रत्येक मान्यता प्राप्त संस्था को मण्डल द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र दिया जायेगा। इस प्रमाण पत्र को प्राचार्य के कक्ष अथवा कार्यालय में स्पष्ट दृष्टिगोचर स्थान प्रदर्शित करना होगा।

(सत्रह) मण्डल द्वारा किसी भी शैक्षणिक संस्था का निरीक्षण करने का अधिकार, किसी शिक्षा अधिकारी अथवा व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्तियों की समिति को दिया जा सकेगा और ऐसा आयोजन 3 वर्ष में कम से कम एक बार करना होगा। यह समिति अथवा अधिकारी मण्डल को अपना प्रतिवेदन उन बिन्दुओं पर प्रस्तुत करेंगे जो कि निर्धारित किये गये हों या जिनके लिये विशेष रुप से निर्देशित किया गया हो। शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा मण्डल को शैक्षणिक संस्था में किसी भी कमी के लिए प्रतिवेदन भेजने का अधिकार होगा।

(अठारह) शैक्षणिक संस्था के प्राचार्य द्वारा सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल को संस्था के प्रबन्ध मण्डल या संस्था के स्टॉफ की संख्या अथवा योग्यता में किसी भी परिवर्तन के बारे में सूचित करना होगा।

(उन्नीस) यदि मण्डल को इस बात समाधान हो जाता है कि कोई शैक्षणिक संस्था जिसे मण्डल द्वारा मान्यता प्रदान की गईहै, उन सभी शर्तों को पूरा करने में असमर्थ हो गई है अथवा अन्य कारण से मान्यता दी जाना नहीं है तो मण्डल को यह अधिकार होगा कि उसकी मान्यता समाप्त कर दी जाये। परन्तु मान्यता रद्द करने से पूर्व कारण बताओ नोटिस जारी करना होगा। यदि कोई लिखित प्रतिवेदन संस्था द्वारा दिया जाता है तो इस पर विचार करना होगा, परन्तु यह भी कि इस प्रकार की मान्यता रद्द करते समय संस्था के छात्रों को एक माह की अवधि दी जाये ताकि वे राज्य की किसी अन्य मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में प्रवेश ले सकें।

(बीस) मण्डल द्वारा मान्यता समिति का गठन किया जाएगा जिसमें निम्नानुसार सदस्य रहेंगे-

1. अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल
2. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल
3. आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा शिक्षा संचालनालय का नामित एक अधिकारी
4. मण्डल के शासी परिषद द्वारा नियुक्त 3 सदस्य।

अध्यक्ष, मान्यता समिति के अध्यक्ष एवं सचिव, मान्यता समिति के सचिव रहेंगे।

मान्यता समिति का यह कर्त्तव्य होगा कि वह संस्थाओं तथा विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने [illegible] की नीति निर्धारित सिद्धान्त समय-समय पर तय करें।

(इक्कीस) मान्यता समिति की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। यथा सम्भव यह बैठक मार्च अप्रैल माह में आयोजित की जायेगी।

(बाईस) यदि इन नियमों के बारे में कोई विवाद होता है या अन्य कोई स्पष्टीकरण आवश्यक है तो अध्यक्ष का निर्णय अन्तिम होगा।

(तेईस) प्रत्येक वर्ष मार्च में मान्यता शुल्क तथा विलम्ब शुल्क मण्डल द्वारा तय किए जायेंगे।

(चौबीस) उपरोक्त मान्यता संबंधी विनियम प्रकाशित होने पर पूर्व में 17 अप्रैल, 1967 को प्रचलित मान्यता सम्बन्धी विनियम जिनका उल्लेख विनियम क्रमांक 50 से 69 में है, विलोपित माने जायेंगे।